बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

संकल्प

विषयः— राज्य के चार कॉरिडोर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के निर्माण हेतु अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (AAR) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय ₹31.59 करोड़ (एकतीस करोड़ उनसठ लाख रू0) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रतिवेदन तैयार करने के लिए बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली, 2024 के नियम—131 झ (छ) के अलोक में नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को नामित करने के संबंध में।

पटना एवं आस पास के क्षेत्रों का बढ़ते शहरीकरण, यात्रियों की बढ़ती मांग और प्रमुख शहरी केंद्रों में बढ़ती आर्थिक गतिविधियों की पृष्टभूमि में राज्य के महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रो को उच्च गति की क्षेत्रीय सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से सुनियोजित तरीके से जोड़ना आवश्यक है। इस संदर्भ राज्य की राजधानी के आस—पास के मुख्य शहरों को जोड़ने हेतु रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की शुरूआत किया जाना श्रेयस्कर होगा।

रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) की शुरूआत सड़कों पर भीड़ कम करने, यात्रा समय घटाने और क्षेत्रीय आर्थिक विकास को और गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अतिरिक्त रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) का निर्माण Satellite Township एवं बिहार में NCR Model के तर्ज पर ग्रेटर पटना मेट्रोपॉलिटेन क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह प्रणाली सुरक्षित, तीव्र, विश्वसनीय एवं पर्यावरण अनुकूल "लास्ट माइल कनेक्टिविटी" उपलब्ध करायेगी।

2. उल्लेखनीय है कि रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के पास व्यापक तकनीकी और संस्थागत अनुभव है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC), भारत सरकार एवं भागीदार राज्यों का संयुक्त उपक्रम है, जिसके द्वारा

दिल्ली–गाजियाबाद–मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर का सफल क्रियान्वयन किया जा रहा है।

3. नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) को उपलब्ध कराये गये Concept Notes के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) द्वारा एवं पटना शहरी क्षेत्र के विस्तार के क्रम में सोनपुर में हवाई अड्डा में निर्माण को ध्यान में रखते हुए प्रारंभिक आकलन के आधार पर निम्नलिखित चार कॉरिडोर को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया गया हैः–

(क) कॉरिडोर–I : पटना–गयाजी कॉरिडोर

(ख) कॉरिडोर–II : पटना एयरपोर्ट–बेगूसराय कॉरिडोर

(ग) कॉरिडोर–III : पटना–हाजीपुर–प्रस्तावित सोनपुर एयरपोर्ट–मुजफ्फरपुर कॉरिडोर

(घ) कॉरिडोर–IV : पटना एयरपोर्ट–आरा कॉरिडोर

4. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) के पत्रांक–CNCRTC/CO-MMI0PROJ(DPR)/2/2026-General दिनांक–13.04.2026 द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित कॉरिडोरों का अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (AAR) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने हेतु कुल अनुमानित व्यय ₹31.59 करोड़ दर्शाया गया है।

5. **उक्त के आलोक में राज्य के चार कॉरिडोर में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) के निर्माण हेतु अल्टरनेटिव एनालिसिस रिपोर्ट (AAR) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार करने पर होने वाले कुल अनुमानित व्यय ₹31.59 करोड़ (एकतीस करोड़ उनसठ लाख रू0) मात्र की स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रतिवेदन तैयार करने के लिए बिहार वित्त (संशोधित) नियमावली, 2024 के नियम–131 झ (छ) के अलोक में नामांकन के आधार पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC) को नामित करने का प्रस्ताव पर सरकार की सहमति संसूचित की जाती है।**

6. उपरोक्त प्रस्ताव पर दिनांक–08.07.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद सं०–11 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय एवं इसकी प्रति सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान

सचिव/सभी सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्तों/जिला पदाधिकारियों/महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

ह०/–
(विनय कुमार),
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/मेट्रो–17–19/2025 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्राणालय, गुलजारबाग प्रेस, पटना/अवर सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार पटना (सी०डी० सलंग्न) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित करते हुए संकल्प की दो सौ प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाये।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/मेट्रो–17–19/2025 पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–सचिव, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह०/–
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–03/मेट्रो–17–19/2025 2572 पटना, दिनांक– 09/07/25

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/महालेखाकार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लि०/प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (NCRTC)/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/निदेशक, बुडा/सभी मुख्य अभियंता/सभी अधीक्षण अभियंता/सभी कार्यपालक अभियंता, नगर विकास प्रमण्डल, नगर विकास एवं आवास विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–02 एवं 06, नगर विकास एवं आवास विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।